न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 10/2018(जी.सी.एम.एस. 2023/339)

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. कर्मजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मलकानाखूर्द तहसील श्रीकरणपुर।	1. राधेश्याम पुत्र सोना चन्द जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 9 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:-10.11.2022

उपस्थितः 1.श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

--निर्णय-- दिनांक : 07.02.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 13/15 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 ता 12 की 12 बीघा नहरी भूमि प्रार्थी कर्मजीत सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी चक के खाता संख्या 98/55 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 13 ता 25 की 2.744 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 राधेश्याम के नाम दर्ज है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आने-जाने के लिए नहर की पटडी के साथ बने रास्ता से मुरब्बा नम्बर 58 के दक्षिण में किला नम्बर 20, 21 के पश्चिम दिशा में रास्ता की आवश्यकता है। जो नजदीक व सुलभ है। जिसे प्रार्थी स्वीकृत करवाना चाहता है। जिसके बदले प्रार्थी साथ चिपती भूमि या भूमि की कीमत देने को तैयार है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को रास्ता स्वीकृत बाबूत कहा तो उसने इन्कार कर दिया और कहा की वह रास्ता बन्द कर देगा। यदि उसने ऐसा किया तो प्रार्थी को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। अपनी भूमि में आने-जाने में परेशानी होगी। अतः चाहा गया रास्ता न्यायहित में मंजूर किया जाना विधि सम्मत् है। प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 एस के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 20, 21 में 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जावे।
2. उक्त अनवान प्रकरण का पूर्व में निर्णय दिनांक 09.12.2019 को किया गया था। जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर उक्त अनवान प्रकरण के निर्णय दिनांक 09.12.2019 को निरस्त किया जाकर दोनों पक्षों को पुनः सुनकर विधिसम्मत् निर्णय पारित किए जाने व मूल पत्रावली जिला अभिलेखागार श्रीगंगानगर से तलब किए जाने के आदेश दिए गए।
3. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार श्रीगंगानगर से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण पुराने नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया गया। दोनो पक्षों को सूचित किया गया। रास्ता के सम्बन्ध में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर को पत्र लिखा गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग व अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार चक 1 एक्स के खाता संख्या 98/55 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 13 ता 25 में 2.744 हैक्टेयर आराजी अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसलिए प्रार्थी चक 1 एक्स के खाता संख्या 98/95 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 13 ता 25 में रास्ता मंजूर करवाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, खारिज किए जाने योग्य है। सामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज फरमाया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के अनुतोष में चक 1 एक्स के स्थान पर चक 1 एस संशोधन किए जाने के आदेश दिए गए।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उक्त प्रार्थना पत्र के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के क्रमांक 995 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा प्राप्त हुई। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार प्रार्थी के रकबा चक 1 एस के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 ता 12 में जाने के लिए कोई रास्ते का विकल्प नही है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यतिंक आवश्यक है। चाहा गया रास्ता मुरब्वा नम्बर 58 के किला नम्बर 20, 21 में पडता है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर, भू-अभिलेख निरीक्षक मलकानाखूर्द की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-'' कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।''

प्रार्थी द्वारा अपने द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चक 1 एस के मुरब्वा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 ता 12 को काश्त करने के लिए मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 20, 21 की पश्चिमी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु हाजा न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर किया है। हमने प्रकरण का अध्ययन किया कि क्या उक्त प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अपने रकबा चक 1 एस के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 ता 12 को काश्त करने के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है या नहीं। फर्द मौका तथा नजरी नक्शे के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। चाहा गया रास्ता प्रार्थी की आत्यतिंक आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 में राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्वा नम्बर 58 के किला नम्बर 20, 21 प्रत्येक की पश्चिमी बट के साथ-साथ 0.026-0.026 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ता की 0.052 हैक्टेयर भूमि के बदले अप्रार्थी राधेश्याम पुत्र सोना चन्द को 0.052 हैक्टेयर भूमि देय होगी। जो प्रार्थी के मुरब्वा नम्बर 58 के किला नम्बर 12 में से अप्रार्थी को देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत आदेश जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{ सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005
ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2024/27 दिनांक :- 07.02.2023

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 10/2018 अनवान कर्मजीत सिंह बनाम राधेश्याम आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 07.02.2024 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2024 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 में राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 20, 21 प्रत्येक की पश्चिमी बट के साथ-साथ 0.026-0.026 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ता की 0.052 हैक्टेयर भूमि के बदले अप्रार्थी राधेश्याम पुत्र सोना चन्द को 0.052 हैक्टेयर भूमि देय होगी। जो प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 12 में से अप्रार्थी को देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

{**सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

(राजस्व) ★ श्री करणपुर